भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

डाकघरः केट / PO: CAT
इन्दौर / Indore – 452013

संदर्भ : 14 / 05 / 2020–जी.एस.सी. / 060

दिनांक 01 / 04 / 2021

विषय :– कोविड संक्रमण की बढती रफ्तार की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक अतिरिक्त दिशा निर्देश।

संदर्भ : आरआरकेट / प्रशा. / मुप्रअ / 2021 / 2598 दिनांक 25 / 03 / 2021

कृपया उपरोक्त विषय में कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक 1349 / री.ए.डी.ए. / 2021 दिनाक 31 / 03 / 2021 का संदर्भ ले (प्रतिलिपि संलग्न)।

2. उपरोक्त आदेशानुसार आगामी रंगपंचमी त्यौहार पर पूर्व आदेश अनुसार गेर, जूलुस, सार्वजानिक रूप से रंगो को डालना, खेलना, झुण्ड मे घूमना, वाहनों में अनावश्यक रूप से आवाजाही करना आदि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा।

3. बाकि दिशा निर्देश संलग्न परिपत्र के अनुरूप रहेंगे।

4. सभी से सहयोग की अपेक्षा है।

01.4.2021
(एस. एस. गोंडाणे)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

मेल ऑल

प्रतिलिपि :

उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी / सुरक्षा अधिकारी
सुरक्षा अनुभाग, आरआरकेट
} कृपया उपरोक्त परिपत्र की अनुपालना सुनिश्चित करें।

केट स्टाफ क्लब / केटगंगा / केटसा } सूचनार्थ हेतु।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/1349/रीएडीए/2021 इन्दौर, दिनांक 31–3–2021

// आदेश //

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

विषय– कोविड संकमण की बढ़ती रफ्तार की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक अतिरिक्त दिशा निर्देश

कोरोना संकमण को रोकने हेतु पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत् मुख्य तौर पर नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रतिबंध लगाए गए हैं। उक्त आदेशों को यथावत रखते हुए निम्नानुसार अतिरिक्त निर्देश दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा–144 के तहत् पालन हेतु जारी किए जाते हैं–

1– यह कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसी श्रेणी के आमोद–प्रमोद क्षेत्र में रेस्टोरेंट आदि संचालित हैं, जहॉ पर बड़ी संख्या में व्यक्ति इन्दौर शहर से आ रहे हैं तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। बेटमा थाना क्षेत्र अन्तर्गत ऐसे ही मामले में अभी हाल ही में एक प्रतिष्ठान को सील किया गया है। अतः समस्त ग्रामीण क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्रतिष्ठान जहॉ पर बड़ी संख्या में आमोद–प्रमोद हेतु/रेस्टोरेंट हेतु लोग आते हैं तथा कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, ऐसे समस्त प्रतिष्ठानों को तत्काल प्रभाव से मानव जीवन के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 के अन्तर्गत बंद करवाया जावे।

2– यह कि आने वाले रंगपंचमी त्यौहान पर पूर्व आदेश अनुसार गेर, जूलुस, सार्वजनिक रूप से रंगों को डालना, खेलना, झुण्ड में घुमना, वाहनों में अनावश्यक रूप से आवाजाही करना आदि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। इस संबंध में रंगपंचमी की प्रातः से ही पुलिस आवश्यक व्यवस्थाएँ एवं रोकना–टोकना सुनिश्चित करेगी। संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी भी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही फील्ड में सुनिश्चित करेंगे।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सूविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है । इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

यह आदेश दिनांक 31/3/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर

पृ०क्र० / 1350 / री0ए0डी0एम0 / 2021 इन्दौर, दिनांक 31–3–2021

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2– आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3– पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4– उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5– आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6– समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर
7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
8– समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
9– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर ।
10– एस0डी0ओ0(पी) नगर पुलिस अधीक्षक (समस्त), ..., इन्दौर
11– उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/जिला विशेष शाखा, इन्दौर
12– थाना प्रभारी, थाना..जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
13– उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाषन हेतु अग्रेषित।
14– प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रषासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15– प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.